अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 27/2022 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

श्रीमती विमला जैन पत्नी स्व. श्री कान्ति कुमार जैन जाति जैन हाल निवासी प्लाट नम्बर 66/67 रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक जयपुर ।
2. नीरज जैन पुत्र स्व. श्री कान्ति कुमार जैन जाति जैन निवासी प्लाट नम्बर ए–121, अर्जुन नगर साउथ, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर ।
3. श्रीमती मीना जैन पत्नी श्री नीरज जैन जाति जैन निवासी प्लाट नम्बर ए–121, अर्जुन नगर साउथ, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर ।
4. नूतन जैन पुत्र स्व. श्री कान्ति कुमार जैन जाति जैन निवासी बी–123, गायत्री नगर, महारानी फार्म दुर्गापुरा, जयपुर।
5. श्रीमती कल्पना जैन पत्नी श्री नूतन जैन जाति जैन निवासी बी–123, गायत्री नगर, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरुद्ध आदेश दिनांक 04.10.2022 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय प्रकरण संख्या 26/2021 ब उनवानी श्रीमती विमला जैन बनाम नीरज जैन

उपस्थित:–

1. अपीलार्थी के प्रतिनिधि उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 2, 3, 4 व 5 स्वयं उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 12.01.2023

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 26/2024 ब उनवानी श्रीमती विमला जैन बनाम नीरज जैन में पारित निर्णय दिनांक 04.10.2022 से व्यथित हो कर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 2, 3, 4 व 5 स्वयं उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

3. बहस उभय पक्ष की सुनी गई।

4. अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ अधिकरण द्वारा प्रत्यर्थी नीरज जैन एवं प्रत्यर्थी नूतन जैन को बतौर भरण पोषण राशि 3000–3,000 रूपये अपीलार्थिया को दिलवाये गये थे। इस प्रकार प्रतिमाह मात्र 6,000/–रूपये बतौर भरण पोषण अपीलार्थिया को अदा करने के आदेश फरमाये गये थे, परन्तु अपीलार्थिया यदि एक कमरा मय रसोई लेट व बाथ किराये पर लेती है तो उस बाबत भी कम से कम 8 से 10 हजार रूपये प्रति माह जल विद्युत कनेक्शन एवं मेन्टीनेन्स के रूप में खर्च हो जाते है। ऐसी स्थिति में उक्त भरण पोषण राशि काफी कम है। इसलिए अंतिरिम भरण पोषण की राशि को बढाया जाकर 33,000/– प्रत्येक प्रति माह किया जाना न्यायोचित है। अपीलार्थिया को दिनांक 15.10.2022 को जानकारी मिली की उसे केन्सर की गम्भीर बीमारी हो गयी है। जिस पर अपीलार्थिया ने डॉक्टर के कहने पर केन्सर की जांच करवाई तो अपीलार्थिया के चेस्ट केन्सर की पुष्टि हो गई। ऐसी स्थिति में अपीलार्थिया को केन्सर का ईलाज करवाने हेतु कई प्रकार की मंहगी जांच करवाई जानी है एवं साथ ही थेरेपी एवं आरेशन भी करवाया जाना है तथा दवाईया आदि का खर्च अलग है। केन्सर बीमारी का उक्त सम्पूर्ण ईलाज एवं उसके साथ अन्य खर्च भी अत्यधिक महंगे है। इसलिए उक्त ईलाज हेतु कम से कम 5,00,000/–अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 2 व 4 से दिलवाया जाना आवश्यक है, जिससे कि अपीलार्थिया जो कि एक बुजुर्ग गम्भीर बीमार एवं विधवा महिला है वह अपना उक्त बीमारी का ईलाज करवा सके। यहां यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि अपीलार्थिया को जो 6000/– रूपये प्रत्यर्थी नीरज जैन व नूतन जैन को प्रति माह नियमित रूप से अदा किये जाने के आदेश पारित किये गये है, इनके द्वारा इसकी पालना नियमित रूप से नहीं की जा रही है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थीगण नीरज जैन एवं नूतन जैन को इस बाबत विशेष रूप से आदेशित किया जाना आवश्यक है कि भविष्य में वह बढाई हुई भरण पोषण राशि नियमित रूप से माह दर माह अपीलार्थिया को अदा करे। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा दिनांक 07.12.2021 को अंतरिम आदेश पारित किया गया था कि दिनांक से अपीलार्थिया को भरण पोषण राशि प्रत्यर्थी नीरज जैन एव नूतन जैन से दिलवायी है जबकि अपीलार्थिया जो कि एक सीनियन सिटीजन है के द्वारा उनवानी आवेदन पत्र अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष दिनांक 20 जुलाई 2021 को प्रस्तुत किया गया था इसलिए उक्त आदेश में संशोधन कर भरण पोषण राशि दिनांक 20.07.2021 से दिलवाई जाने के आदेश फरमावें। अपीलार्थिया के द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष जरिये प्रार्थना पत्र साक्ष्य शपथ पत्र एवं दौराने बहस इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया था कि अपीलार्थिया के पति की स्व अर्जित आय से दुकान वाके हीरापथ मानसरोवर जो कि अपीलार्थिया के नाम पर है एवं बजाज नगर टौंक रोड जयपुर अपीलार्थिया के पति के नाम पर है । जिस पर प्रत्यर्थीगण

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

नीरज जैन व नूतन जैन ने एक दुकान ले रखी है ऐसी स्थिति में उक्त दुकान पैतृक सम्पत्ति थी, वह भी प्रत्यर्थीगण नीरज जैन एवं नूतन जैन ने मिल कर बेच दी एवं सम्पूर्ण लाखों रूपये की राशि दोनों ने मिल कर आपस मे बांट ली, जिसमें एक रूपया भी अपीलार्थिया को नहीं दिया जिस बाबत भी अधीनस्थ अधिकरण ने कोई गौर ना कर उक्त आलोच्य आदेश पारित कर गम्भीर कानूनी भूल की है । अधीनस्थ अधिकरण ने उक्त समस्त तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजात पर कतई गौर एवं न्यायिक मनन ना कर उक्त आलौच्य आदेश पारित कर गम्भीर कानूनी भूल की है । इस प्रकार आलौच्य आदेश में संशोधन किया जाना अति आवश्यक एवं न्यायोचित है। अन्यथा अपीलार्थीया का जीवन इसी प्रकार अपनी पुत्री (जिसका भी हक व अधिकार का हक व हिस्सा प्रत्यर्थीगण हडप कर चुके है) पर एवं अन्य पर आश्रित होकर उपेक्षा पूर्ण जीवन यापन करने को मजबूर होगी। अतः अपील अपीलार्थिया की स्वीकार की जाकर आलौच्य आदेश दिनांक 04.10.2022 को संशोधित कर भरण पोषण की राशि 3000–3000 रूपये से बढा कर 33,000/–रूपये, 20 जुलाई 2021 से दिलवाये जाने तथा केन्सर के ईलाज हेतु 5,00,000/–रूपये भी दिलवाये जाने का आदेश फरमावे।

5. प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी के तर्को खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अधीनस्थ अधिकरण द्वारा उभय पक्ष को सुन कर आलौच निर्णय विधिवत पारित किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत कर परिवाद प्रस्तुत किये जाने की दिनांक 20.07.2021 से 33,000/–रूपया प्रति माह भरण पोषण के दिलवाये जाने का अनुतोष चाहा है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 9 (2) में अधिकतम राशि 10,000/–रूपये बतौर भरण पोषण राशि दिये जाने का प्रावधान है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 व 4 से 3000–3000 हजार रूपये दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया है जो कम है। प्रत्यर्थी संख्या 2 व 4 की आय को मध्यनजर रखते हुये भरण पोषण राशि 10,000/–रूपये दिलाया जाना उचित है। फलस्वरूप अधीनस्थ अधिकरण का आदेश भरण पोषण की हद तक संशोधित किये जाने हेतु अपील आंशिक स्वीकार की जाती है।

8. प्रयर्त्थी संख्या 2 व 4 को आदेश पारित दिनांक 12.01.2023 से 5000–5000 रूपये अपीलार्थी के द्वारा बैंक खाता नम्बर बताने पर अपीलार्थी के खाते में जमा करा कर भरण पोषण राशि का भुगतान किये जाने का आदेश दिया जाता है। हारी बिमारी में अपीलार्थिया की देखभाल करने चिकित्सा का समस्त खर्च वहन करने एवं अपीलार्थिया को शान्ति पूर्वक रहवास करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु अधीनस्थ अधिकरण द्वारा प्रत्यर्थीगण को पाबन्द कर दिया गया है। इसलिए अधीनस्थ अधिकरण का शेष आदेश यथावत रखा जाता है।।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

9. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर द्वितीय को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 12.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर